दिनांक 19.10.2020 स्वच्छ एवं सुदर भिलाई

खुर्सीपार क्षेत्र में कचरा फैलाने वाले दुकानदारों पर निगम की टीम ने लगाया जुर्माना

भिलाईनगर/ नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्र अंतर्गत गंदगी फैलाने वाले और प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी का उपयोग करने वालों के खिलाफ निगम की टीम कार्यवाही कर रही है। प्रमुख बाजार क्षेत्र होटल , ठेले व नाश्ता सेंटर वालों द्वारा अनियंत्रित तरीके से गीला एवं सूखा कचरा को फेंकने वालों का भी निरीक्षण कर कार्यवाही कर रहे हैं! इसी के तहत खुर्सीपार क्षेत्र में जोन 04 की टीम ने 09 व्यवसासियों से 1600 रूपए अर्थदंड वसूले और समझाइश दिए कि दोबारा ऐसा करते पाए जाने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। शिवाजीनगर जोन 04 खुर्सीपार के अंतर्गत होटल , चाय नाश्ता ठेला व अन्य खाद्य पदार्थ विक्रय करने वाले जो कचरा अनियंत्रित रूप से फेंक रहे थे व डस्टबिन नहीं रखने वालों पर निगम के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कार्यवाही की। कचरा इधर-उधर फेंकने वालों पर कार्रवाई करने के निर्देश निगमायुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी ने दिए हैं! जोन 04 के जोन आयुक्त अमिताभ शर्मा की टीम स्वच्छ भारत मिशन के तहत गंदगी फैलाने वालों पर कार्यवाही करने चौक-चौराहा व मुख्य बाजार क्षेत्र का निरिक्षण किए। जोन स्वास्थ्य अधिकारी महेश पाण्डेय ने बताया कि जोन 04 अंतर्गत वार्ड कं. 28 छावनी एवं वार्ड 32 क्षेत्र में ठेले पर चाय, नाश्ता, फास्ट फूड इत्यादि का व्यवसाय करते है, उनके द्वारा खाद्य पदार्थों के गीले एवं सूखे कचरे एवं नाश्ता प्लेट , चाय डिस्पोजल एवं झिल्ली, पन्नी को आस पास ही अनियंत्रित तरीके फेंककर गंदगी फैलाया जा रहा था , इन सभी से जुर्माना वसूल किया गया। ठेले संचालकों को समझाईश दी गई कि प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग नहीं करना है तथा गीला एवं सूखा कचरा को एकत्रित करके रखें और निगम के कचरा वाहन में डाले ताकि कचरे को व्यवस्थित तरीके से निष्पादन किया जा सके! निगम की टीम ने जोन 04 क्षेत्र के डिस्पोजल का कचरा फैलाने वाले श्रवण गुप्ता से 300 रूपए, वार्ड 28 के प्रेम शंकर से 200 रूपए, गंदगी फैलाने वाले पान ठेला संचालक हरिराम वर्मा से 100 रूपए, किराना दुकान वाले श्यामाचरण पाॅल से 100 रूपए, झिल्ली-पन्नी कचरा फैलाने वाले राज नारायण पाॅल से 100 रूपए सहित 05 व्यवसायियों से 800 रूपए अर्थदंड वसूलने की कार्यवाही की।